मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 (20 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख

श्री कैलाश सत्यार्थी एवं सुश्री मलाला युसूफ जई को नोबल पुरस्कार प्राप्त होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, सर्वश्री यशपाल सिंह सिसोदिया, रामनिवास रावत एवं निशंक कुमार जैन, सदस्यगण द्वारा श्री कैलाश सत्यार्थी, भारतीय नागरिक एवं सुश्री मलाला युसूफ जई को शांति एवं समाजसेवा के लिए नोबल पुरस्कार प्राप्त होने पर सदन की ओर से बधाई दी गई.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये । प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 121 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 131 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री जितू पटवारी, सदस्य ने इंदौर शहर में केशरबाग ब्रिज के निर्माण में विलम्ब होने.

(2) श्री मुकेश नायक, सदस्य ने प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी होने.

(3) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य ने उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल गायब होने.

(4) श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल, सदस्य ने सिंगरौली के बरका हायर सेकेण्ड्री स्कूल में शिक्षकों की कमी होने.

(5) श्री प्रहलाद भारती, सदस्य ने पोहरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट होने.

(6) श्री सोहनलाल बाल्मीक, सदस्य ने जुन्नारदेव एवं दमुआ में अतिक्रमण हटाने से लोग बेघर होने.

(7) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य ने प्रदेश के स्कूलों में उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी गुरूजियों को वेतन एवं एरियर्स का भुगतान न होने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने –

(क) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (वित्त लेखे खण्ड-I तथा II एवं विनियोग लेखे),

(ख) वित्तीय वर्ष 2013-14 की द्वितीय छ: माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छ: माही समीक्षा विवरण,

(ग) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-21-2014-2-पांच-(28), दिनांक 1 नवम्बर, 2014,

(घ) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-11-2014-2-पांच- (26), दिनांक 18 जुलाई, 2014 तथा

(ङ) वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचनाएं --

(i) क्र.एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (30), दिनांक 1 अगस्त, 2014,

(ii) क्र.एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (40), दिनांक 25 अगस्त, 2014,

(iii) क्र.एफ-ए-3-05-2014-1-पांच (41), दिनांक 26 अगस्त, 2014,

(iv) क्र.एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (43), दिनांक 1 सितम्बर, 2014,

(v) क्र.एफ-ए-3-56-2014-1-पांच (47), दिनांक 8 सितम्बर, 2014,

(vi) क्र.एफ-ए-3-35-2014-1-पांच (48), दिनांक 10 सितम्बर, 2014, एवं

(vii) क्र.एफ ए 3-20-2013-1-पांच (58), दिनांक 27 नवम्बर, 2014,

पटल पर रखीं.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-14 पटल पर रखा.

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 138 (3) को शिथिल करके, आज की दैनिक कार्य सूची में उल्लेखित 4 ध्यान आकर्षण सूचनाएं सदन में लिये जाने संबंधी घोषणा की गई. तद्नुसार -

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने श्योपुर एवं मुरैना जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं फीडर विभक्तिकरण के तहत किये जा रहे कार्य में अनियमितता होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(श्री बाला बच्चन के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण संख्या (1) पर शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

(2) श्री सूबेदार सिंह रजौधा, सदस्य ने मुरैना जिले के पहाड़गंज वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(3) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य ने खण्डवा जिले के पंधाना क्षेत्र में अवैध एवं जहरीली शराब की बिक्री की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(4) श्री वेलसिंह भूरिया, सदस्य ने धार जिले में सड़क निर्माण में अनियमितता की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री रामलाल रौतेल, सदस्य द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

क्रमांक	अशासकीय क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1	क्रमांक-6	डॉ. गोविन्द सिंह	50 मिनट
2	क्रमांक-10	श्री के.पी. सिंह	50 मिनट
3	क्रमांक-17	श्री यशपालसिंह सिसोदिया	50 मिनट

श्री रामलाल रौतेल, सदस्य ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है. "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) याचिका समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने याचिका समिति के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किये.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा दैनिक कार्यसूची में उल्लेखित याचिकायें प्रस्तुत की गई :-

(1) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा (जिला-रीवा)

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मंदसौर)

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 24 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(3) श्री राम निवास रावत

(अपराह्न 1.00 से 2.35 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

श्री अंतर सिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री अंतर सिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 24 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

(2) श्री रामेश्वर शर्मा

(3) श्री शैलेन्द्र जैन

(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्री भूपेन्द्र सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ.

(3) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 25 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री दुर्गालाल विजय

श्री अंतर सिंह आर्य ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री अंतर सिंह आर्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 (क्रमांक 25 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 27 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 27 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए

(5) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 28 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बाला बच्चन
(2) श्रीमती उषा चौधरी

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 28 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ.

(6) श्री जयंत मलैया, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 29 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री जयंत मलैया ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

श्री जयंत मलैया ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 29 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ.

(7) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 31 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ.)

खण्ड 2 के उपखण्ड (एक) में मद (ग घ) में शब्द- "या;" के पश्चात् निम्नांकित शब्दावली स्थापित की जाय, अर्थात् --

"जिसके नाम से किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था, जिसके क्षेत्र में पंचायत स्थित हो, उस पंचायत के निर्वाचन की घोषणा की तारीख पर कोई कालातीत ऋण बकाया हो;"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(2) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(3) श्री हरदीप सिंह डंग
(4) श्री बाला बच्चन
(5) श्री मुकेश नायक
(6) डॉ. रामकिशोर दोगने
(7) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(8) श्री जितू पटवारी

श्री गोपाल भार्गव ने चर्चा का उत्तर दिया.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

संशोधन स्वीकृत हुआ.
यथासंशोधित खण्ड-2 विधेयक का अंग बना.
खण्ड 3 विधेयक का अंग बना.
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने.

श्री गोपाल भार्गव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 31 सन् 2014) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
विधेयक पारित हुआ.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

9. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हेतु सायं 5.30 बजे तक सदन के समय में वृद्धि करने संबंधी घोषणा की गई.

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा
प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी होना

नियम 139 के अधीन अविलम्मबनीय लोक महत्व के विषय - प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी संबंधी श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री जितू पटवारी, सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) डॉ. गोविन्द सिंह
(3) श्री जितू पटवारी

अपराह्न 5.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 (21 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 11 दिसम्बर, 2014